

(मूल वाद में डिक्री)()

डिक्री व मुकदमे इबतदाई

(आदेश 20 रूल्स 6-7 जाब्ता दीवानी)

(Civil Procedaur Code Appendix 'D' -I)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर बुहाना जिला झुंझुनूं (राज.)

पीठासीन अधिकारी :- सुनील कुमार चौहान आर.ए.एस.

सन्तलाल

बनाम

तक्षीलदा बुधना

दावा बाबत :- हो/बना/माम (88 RTnet)

मुकदमा नम्बर :- 181/2021

निर्णय दिनांक :- 8/11/2021

वारी की ओर से ह्वयं की व प्रतिवादी की ओर से तक्षीलदा बुधना की उपस्थिति में इस वाद में आज तारीख 8/11/21 को सुनील कुमार चौहान (आर.ए.एस.) उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर बुहाना जिला झुंझुनूं राज0 के समक्ष अंतिम निपटारे के लिए पेश होने पर, आदेश किया जाता है और डिक्री दी जाती है कि :-

" वार्डे ग्राम पुरीना लिबर श्रमि खण्ड नम्बर 605/67
रकबा 0.87 ई. में सन्तलाल पुत्र किमोरी के ह्वयन पर
सन्तलाल पुत्र किमोरीलाए हुलह कट खातेदार कोषिह
क्रियागत है। "

खर्चा पक्षकारान अपना-अपना वहन करेंगे।

यह आज तारीख 8/11/2021 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।



(सुनील कुमार चौहान)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर बुहाना
जिला झुंझुनूं राज0